

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबडा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
56/25	53,88,89,90,91,91ए,92,183,188 RTA	खाखरा	छबडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
हीरालाल	बनाम	बाबूलाल	
वकील :-	श्री भवर सिंह जादौन	आदेश पत्रक	वकील:-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		विविध संदर्भ

13.05.2025 अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,90,91,91ए,92,183,188 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ने सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.06.2025 को पेश हो।

9-6-25 पत्रावली पेश हुई वकील काही उपा प्रहि काही ठा।, 3। काही कोट है श्री भद्र कुमाउ कुमा एड. का न्यायालय। पेश हुआ जाई काही कुमा 2, 3/2, 3/2, 8, 9 के समान नद तालील जाफ कावश इनक के न्याया. के उपा. नदी से उवके विरुद्ध एक पक्षीय कारनामी की जागी से जाई काही ठा 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, काही लखी से उछागा पेश काई पत्रावली काई लखी दिनांक 7-7-25 को पेश हो।

7-7-25 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिशति मे विनांक 25.6.25 को पेश हो।
 14
 शेडर
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबडा (बारा),

25.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपा। वकील वादी प्रकरण को को आगे चलाना नही चाहते है। प्रकरण के कार्रवाही इली एतर पर शेष करवाना चाहते है। प्रकरण के not press किया है। कतः प्रकरण not press के खारिज किया जाता है। पत्रावली फेडरल शुमार होकर काद तालील लखील के दायित्व इस्तर है।

not press
 25.8.25